चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.02.2026 को एक वादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ रामअशीष द्वारा दुष्कर्म करना जिससे गर्भवती हो जाना,उसके 07 माह के गर्भ का गर्भपात करा देना तथा किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी देना। इस सचूना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 48/2026 धारा 65(1),89,351(3) बी0एन0एस0 व 04 पॉक्सो एक्ट बनाम रामअशीष उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत स्वयं गर्भपात कराये जाने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में से धारा 89 का

लोप करते हुए आज दिनांक 24.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक मऊ व उनकी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त रामअशीष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.श्री दुर्गविजय सिंह प्रभारी निरीक्षक मऊ

2.आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह

3.आरक्षी बृजेन्द्र राय

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 24.02.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 351/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छोटा उर्फ छोटवा पुत्र स्व0 गुरुदीन प्रजापति निवासी कटरागूदर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक व 8174/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 24.02.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर न0 161/2015 धारा 352,504/506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त अजीत नारायण पुत्र रामसनैही निवासी बसावनपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों को 67 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). *उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह,उ0नि0 अतीन्द्र सिंह चौहान मय हमराह आरक्षी कामता सिंह थाना भरतकूप* द्वारा अभियुक्त शिवभूषण पुत्र शिवकंठा निवासी गोबरिया बुजुर्ग थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को एक थैले में 31 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). *उ0नि0 श्री रमेश सिंह मय हमराह आरक्षी लालू यादव थाना मारकुण्डी* द्वारा अभियुक्त बल्लू रजक पुत्र रामदास रजक निवासी नई बस्ती मझगवां थाना मझगवां जनपद सतना को एक बोरी में 19 पाउच अवैध देशी शराब सोल्जर ब्रान्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). *उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी मंगला प्रसाद,आरक्षी अतुल मिश्रा थाना मारकुण्डी* के द्वारा अभियुक्त भीम हरिजन पुत्र धरमा हरिजन निवासी इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी को 17 अदद देशी शराब मसाला ठेका पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी टीम के विवेचक/सहविवेचक निरीक्षक श्री अजीत कुमार पाडेय व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 657/25 धारा 319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2)/316 (5)/61 (2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट वांछित अभियुक्त 1.जीवनलाल पुत्र स्व0 सुखराज निवासी ग्राम नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 2.नत्थूराम पुत्र स्व0 शिवलोचन निवासी ग्राम नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 3.लल्लू प्रसाद कुशवाहा पुत्र स्व0 तिजोल प्रसाद निवसी पहाड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 4.कैलाश नाथ पाण्डेय पुत्र स्व0 रुद्र प्रसाद पाण्डेय निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 5. शिवंगल पुत्र स्व0 पंचम प्रसाद निवासी छेछरिया खुर्द थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.निरीक्षक श्री अजीत कुमार पाण्डेय
2.निरीक्षक श्री राकेश कुमार मौर्या
3.उ0नि0 श्री राजेश कुमार
4..आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराही आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र रामस्वयंवर निवासी भरकोर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट एक झोले में 24 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।